



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2832

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 12279 वर्ष 2025

हुकुम सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के लिए अधिवक्ता	: आदित्य प्रकाश वर्मा, रंजना वर्मा, शैलेश वर्मा
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे होम गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 200 वर्ष 2023 दर्ज होने के कारण, जिला कमांडेंट होम गार्ड, बरेली, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा 30.06.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ता को कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक दिया गया और उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया।

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना, प्रतिवादी को उसके कर्तव्यों के पालन से रोकने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने निवेदन किया कि इसका संपूर्ण आधार शासनादेश दिनांक 18.08.2023 के खंड 5 से 8 हैं, जिन्हें **रिट याचिका संख्या 16186 वर्ष 2024 (महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य)**, निर्णीत दिनांक 26.09.2025 में क्षेत्राधिकार से बाहर अभिनिर्धारित किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस मामले पर प्रतिवादी संख्या 3, जिला होम गार्ड कमांडेंट, बरेली द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

5. प्रतिद्वंदी पक्षों की दलीलों और उनके द्वारा लिए गए रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिसे 16.01.2026 तक प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 **महेश सिंह (उपरोक्त)** के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करेगा।

6. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका प्रतिवादियों से कोई जवाब मांगे बिना निर्णीत की गई है। अतः, इस आदेश को पारित करने का अर्थ इस अभियक्ति के रूप में नहीं लगाया जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

7. उपरोक्त संप्रेक्षण के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

8. आज दाखिल किए गए अनुदेशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और इसे परिशिष्ट-ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)